>

Title: Introduction of the National Commission for Minority Educational Institutions (Amendment) Bill, 2009.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI KAPIL SIBAL): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004.

MADAM SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004."

The motion was adopted.

SHRI KAPIL SIBAL: I introduce the Bill.

MADAM SPEAKER: The House shall now take up Matters of Urgent Public Importance.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Madam, may I make a submission before that?

MADAM SPEAKER: Just a minute. The Minister has to say something.

...(Interruptions)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): The submission is related to the House.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Madam, today is the last day of the House and we are adjourning *sine die* today. My request to you and also to all the hon. Members would be that from now onwards up to 1.00 p.m., you may take up the 'Zero Hour' matter and at 2.00 p.m. we may have the reply of the Minister of Agriculture to the debate on Price Rise. After that we may adjourn the House and we dispense with the Private Members' Business.

MADAM SPEAKER: If the House agrees, we may do that.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MADAM SPEAKER: The Half-an-Hour Discussion listed for today stands postponed to the next session of the House. If the House agrees, it may be taken up in the first week of the next session.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

अध्यक्ष महोदया : हमने अभी किसी का भी नाम नहीं लिया है।

…(<u>व्यवधान</u>)

अध्यक्ष महोदया : ऐसे शून्य प्रहर कैसे चलेगा?

श्री राकेश सिंह (जबलप्र): अध्यक्ष महोदया, बहुत महत्वपूर्ण विषय है।...(<u>व्यवधान</u>)

अध्यक्ष महोदया : सभी का महत्वपूर्ण विषय है, आप बारी-बारी से बोल लीजिए।

श्री राकेश सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैंने नोटिस दिया है।...(<u>व्यवधान</u>)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, आप जरा शांति रखिए, हम सब को बुलाएंगे।

श्रीमती स्षमा स्वराज (विदिशा): मैडम, आपने ब्लाने के लिए मना कर दिया, इसलिए ये खड़े हुए हैं।...(<u>व्यवधान</u>)

अध्यक्ष महोदया : हमने किसे बुलाने के लिए मना कर दिया?

# …(<u>व्यवधान</u>)

श्रीमती सुषमा स्वराज : आपने उनका नोटिस ही इनएडमिसिबल कर दिया। वे दो दिन से नोटिस दे रहे हैं और दोनों दिन इनका नोटिस बैलेट में आ रहा है, लेकिन आपने नोटिस को ही इनएडमिसिबल कर दिया, इसलिए वे खड़े हुए हैं।...(<u>ट्यवधान</u>)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, मैं देख लेती हूं कि हमने इसे क्यों रिजेक्ट कर दिया।

#### …(<u>व्यवधान</u>)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदया, दो दिन से इनका नोटिस बैलेट में आ रहा है, ये भ्रष्टाचार का मामला उठाना चाहते हैं। इतने शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उसके लिए ये दो दिन से नोटिस दे रहे हैं और दोनों दिन इनका नोटिस बैलेट में आ रहा है, लेकिन आपने इन्हें इनएडिमिसिबल कर दिया, इसलिए ये खड़े हुए हैं।...(<u>व्यवधान</u>)

अध्यक्ष महोदया : मैं इस पर आऊंगी।

# ...(<u>व्यवधान</u>)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदया, ...(<u>व्यवधान</u>) मुझे बोलने दीजिए ...(<u>व्यवधान</u>)

अध्यक्ष महोदया : केवल म्लायम सिंह जी का भाषण रिकॉर्ड पर जाएगा।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया, ...(<u>व्यवधान</u>) मुझे बोलने दीजिए। ...(<u>व्यवधान</u>)

अध्यक्ष महोदया : म्लायम सिंह जी का भाषण ही रिकॉर्ड पर जाएगा।

…(<u>व्यवधान</u>)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए।

### …(<u>व्यवधान</u>)

**अध्यक्ष महोदया** : आप जो मामला उठा रहे हैं, उसका एक नियम है। आप नियमानुसार चलेंगे, तो मामला उठाने की अनुमति दी जा सकती है।

# …(<u>व्यवधान</u>)

MADAM SPEAKER: There is a definite rule for it. You go according to the rule. Now let the hon. Member raise his matter of urgent public importance.

### …(<u>व्यवधान</u>)

**श्री मुलायम सिंह यादव** : आप हमें बोलने दीजिए। ...(<u>व्यवधान</u>)

अध्यक्ष महोदया : आप अगर नियम के अन्सार नोटिस देंगे, तो आपको बोलने का अवसर दिया जाएगा।

…(<u>व्यवधान</u>)